भाग ख
पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार–ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2004-2005 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा 2004-2005 के संशोधित अनुमानों और 2005-2006 के बजट अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004–2005	बजट 2005–2006
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां			
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	27100.00	61565.00	12000.00
2. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश	4000.00	4091.00	...
ख. ऋण प्राप्तियां			
3. बाजार ऋण	115501.18	71034.03	100836.29
जिसमें से बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	*25000.00*	*25000.00*	*(-) 3000.00*
4. अल्पावधि उधार	34864.00	40390.00	24474.00
जिसमें से बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत	*35000.00*	*40481.00*	*18019.00*
5. विदेशी सहायता (निवल)	8076.52	9034.64	9655.84
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	1350.00	34015.00	3010.00
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	4000.00	4000.00	5000.00
8. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम आदि की विशेष जमा राशियां (निवल)	200.39	200.39	...
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	19818.00	25013.99	20047.44
जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां	**214910.09**	**249344.05**	**175023.57**
10. नकद शेष में आहरण द्वारा कमी (एमएसएस के अन्तर्गत बकाया राशि को छोड़कर)	13597.22	21024.86	3139.51

1. **ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां**

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) और गैर-सरकारी पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005–2006
वसूलियांः			
(i) राज्य सरकारों से	23585.99	57336.02	9865.96
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल सहित)	262.17	177.98	178.95
(iii) अन्य	3251.84	4051.00	1955.09
(क) विदेशी सरकारों से	*68.84*	*105.45*	*114.68*
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	*3183.00*	*3945.55*	*1840.41*
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**27100.00**	**61565.00**	**12000.00**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधि अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	2000.00	2000.00	1000.00
(ख) सरकारी कर्मचारियों आदि से की गयी वसूलियों, जिन्हें व्यय में से घटाया जाता है, को छोड़कर गैर-सरकारी पक्षों से की गयी वसूलियां	525.00	525.00	525.00

(i) **राज्य सरकारों से वसूलियांः** ये वसूलियां राज्यों को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं। ब.अ. 2004-05 तथा सं.अ. 2004-05 में राज्य ऋण अदला-बदली योजना के अंतर्गत वृद्धिशील रक्षा पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए आवंटित 11,000 करोड़ रुपए राशि की प्राप्तियां शामिल हैं। एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए उपयोग में लाई गई योजना के अंतर्गत 32665 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्तियों को भी संशोधित अनुमान 2004-05 में शामिल किया गया है।

टीएफसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण राहत के कारण ब. अ. 2005-06 में ऋणों की वसूली में 12000 करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान है।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियां**: ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी**: इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004-2005	बजट 2005–2006
(क) विदेशी सरकारें	68.84	105.45	114.68
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	3183.00	3945.55	1840.41
जोड़	**3251.84**	**4051.00**	**1955.09**

2. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश**

सं.अ. 2004-05 में प्राप्तियां चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएनबी) आदि की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण हैं। एसयूएस 1999 में सरकार के निवेशों की बिक्री के कारण अतिरिक्त प्राप्तियों के होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2005-06 में शून्य प्राप्तियां कल्पित हैं।

3. बाजार ऋण:

भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरु की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधन के रूप में किया जाता है। यह योजना विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग थी। योजना के तहत नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर कूपन दर अर्ध वार्षिक आधार पर देय होती है, नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है, जो परिवर्तनीय बेस रेट पर विगत तीन नीलामियों में 364-दिवसीय रोजकोषीय हुंडियों के 'कट आफ' मूल्यों पर अन्यतर्निहित प्राप्तियों के औसत के रूप में परिकलित की जाती है; जीरो कूपन बांड, जिनपर कोई कूपन नहीं होता लेकिन कटौती मूल्य पर बेचे जाते हैं; पूंजी सूचकांकित बांड, जो मूल राशि में स्फीति-सूचकांकन प्रदान करते हैं, भी जारी करती है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अब परिशोधित पूंजी सूचकांक बांडों पर एक अवधारणा पत्र तैयार कर लिया है जो मूल राशि और कूपन भुगतानों, दोनों को सूचीबद्ध करेगा। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक संकेतित बाजार उधारों कैलेन्डर की घोषणा करती रही है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 मार्च, 2004 को बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो नकदी आधिक्य को स्थिर करने के लिए सामान्य बाजार उधार के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुंडियों के निर्गम को अनिवार्य बनाता है। ये प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक में एक पृथक पहचान योग्य नकद खाते में धारित की जाती है और इनका उपयोग दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुंडियों के मोचन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

वर्ष 2004-05 में दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से केंद्र सरकार के सकल बाजार उधार 105350.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है (बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत 25000 करोड़ रुपए सहित) जबकि 2004-05 (ब.अ.) में 25000 करोड़ रुपए एमएसएस सहित ये 149817.15 करोड़ रुपए थे। उपर्युक्त सकल बाजार उधार में पाँच किस्तो में जारी किए गए 22350 करोड़ रुपए के एफआरबी शामिल हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान बाजार उधारों की भारित औसत लागत वर्ष 2003-04 में 5.71 प्रतिशत के मुकाबले 6.51 प्रतिशत थी (15 फरवरी, 2005 तक)। वर्ष के दौरान उधार की भारित औसत लागत में वृद्धि के बावजूद, सभी बकाया प्रतिभूतियों की भारित औसत कूपन के वित्तीय वर्ष 2003-05 के अंत में 9.3 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत में 8.96 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से सामान्य बाजार उधारों की भारित औसत परिपक्वता 2003-04 में 14.94 वर्ष से बढ़कर 2004-05 में (15 फरवरी, 2005 तक) 15.06 वर्ष हो गई है।

बजट अनुमान 2005-06

2005-06 में प्रत्येक के सामने दर्शाए गए बकाया शेष सहित निम्नलिखित बाजार ऋण मोचन के लिए नियत हैं:

(करोड़ रुपए)

1.	9.90% सरकारी स्टॉक, 2005	3000.00
2.	13.75% सरकारी स्टॉक, 2005	1000.00
3.	10.50% ऋण, 2005	470.22
4.	14.00% सरकारी स्टॉक, 2005	4209.66
5.	11.25% ऋण, 2005	1338.23
6.	10.20% सरकारी स्टॉक, 2005	3000.00
7.	11.19% सरकारी स्टॉक, 2005	6000.00
8.	14.00% सरकारी स्टॉक, 2005	4482.63
9.	6.50% ऋण, 2005	464.97

10.	8.25% ऋण, 2005	664.79
11.	14.00% सरकारी स्टॉक, 2006	3000.00
	जोड़	27630.50
जोड़ें:		
12.	11.19% सरकारी स्टॉक, 2005*	5000.00
13.	6.18% सरकारी स्टॉक, 2005*	3000.00
कुल जोड़		***35630.50***

* *विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां।*

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी निम्नलिखित दिनांकित प्रतिभूति भी 2005-06 में मोचन हेतु देय है जिसके लिए व्यय की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारित पृथक एमएसएस नकद शेष से की जाएगी।

(करोड़ रुपए)

6.18% सरकारी स्टॉक 2005	**20000.00**

विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण

भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 4क में दिए गए हैं।

4. अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतया इन्हें सरकार के सामान्य उधार कार्यक्रम तथा बाजार स्थिरीकरण योजना दोनों के अन्तर्गत जारी किया जाता है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-2003 से प्रत्येक पंद्रह दिन में 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी के लिए अधिसूचित राशि वर्ष 2003-04 के दौरान 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रत्येक पन्द्रह दिन में नीलामी हेतु 500 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि सहित 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14-दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है। तथापि, इस खाते में कोई प्राप्तियों का अनुमान नहीं है।

बजट अनुमान 2005-06

वर्ष 2005-06 के दौरान राजकोषीय हुंडियों के निर्गम के माध्यम से निवल उधार का अनुमान 24474 करोड़ रुपए लगाया गया है जिसमें एमएसएस के अन्तर्गत 18019 करोड़ रुपए शामिल हैं। सामान्य निर्गम के तहत, 14-दिवसीय मध्यमवर्ती राजकोषीय हुंडियों और 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के पुनः जारी करने से निवल उधार का अनुमान लगाया गया है। 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के सम्बन्ध में 6500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जबकि 364 - दिवसीय राज्यकोषीय हुंडियों के सम्बन्ध में गैर-प्रतिस्पर्द्धी घटक की नीलामियों के सम्बन्ध में 91 करोड़ रुपए के सीमांत बर्हिप्रवाह अनुमानित हैं।

एमएसएस के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में निवल प्राप्तियां 18019 करोड़ रुपए आंकी गयी हैं जिसमें 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से 13000 करोड़ रुपए तथा 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से 5019 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे।

5. विदेशी सहायता

बजट 2005-2006 में 17184.48 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों और 7528.64 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी का अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, 9655.84 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) प्राप्त हुई।

विदेशी सहायता से निवल प्राप्तियां सं.अ. 2004-05 में 9034.64 करोड़ रुपए आंकी गयी हैं।

2004–2005 तथा 2005-2006 में विदेशी सहायता की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी–अदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004–05	बजट 2005–06
क. प्राप्तियां			
(i) *विदेशी ऋण*	*14546.19*	*15392.86*	*16384.48*
(ii) *परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां*	*400.00*	*800.00*	*800.00*
कुल प्राप्तियां:	**14946.19**	**16192.86**	**17184.48**
ख. वापसी-अदायगियां	(-) **6869.67**	(-) **7158.22**	(-) **7528.64**
निवल प्राप्तियां:	**8076.52**	**9034.64**	**9655.84**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

6. **(क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि**

लघु बचत योजनाएं:

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र-VIII निर्गम, किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को 2 अगस्त, 2004 से प्रारम्भ किया गया है। यह योजना डाकघरों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के नामित बैंकों में उपलब्ध है। 60 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति तथा 55 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लेकिन 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के तहत खाता खोलने हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत जमा रशियां 15 लाख की अधिकतम उच्च सीमा के अधीन (पात्र सेवानिवृत्त लाभों तक सीमित) है तथा इसमें तिमाही आधार पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज अर्जित होगा।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि: (i) लघु बचत योजनाओं के अधीन सभी जमाराशियां भारतीय लोक लेखा में दिनांक 1.4.1999 को स्थापित "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) में जमा की जाती हैं। जमाकर्ताओं द्वारा सभी आहरण इस निधि में जमाराशि से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 मार्च, 1999 को समाप्त विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत शेष बकाया राशियों की देयता केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश के रूप में मान कर वहन किया गया। निवल लघु बचत संग्रहणों में भाग को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान विशेष केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में भी निवेशित किया गया। वर्ष 2002-03 से प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा सहित) में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत सम्पूर्ण निवल संग्रहणों को सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को इसकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के बतौर अग्रिम रूप में दिया जा रहा है। विशेष प्रतिभूतियों के विमोचन पर एनएसएसएफ में प्राप्त राशियों को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूतियां का ऋण शोधन निधि की आय है जबकि अंशदाताओं को किया गया ब्याज भुगतान तथा लघु बचत योजनाओं के प्रावधान की लागत निधि का व्यय है।

(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती है।

(iii) 1 अप्रैल, 2003 से राज्य सरकारों द्वारा जारी इन विशेष प्रतिभूतियों पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

एन.एस.एस.एफ. पर ऋण अदला-बदली स्कीम का प्रभाव: वर्ष 2002-03 से एक ऋण अदला-बदली योजना प्रारम्भ की गयी ताकि राज्य सरकारें अतिरिक्त बाजार उधारों तथा चालू लघु बचत अन्तरणों के एक भाग सहित भारत सरकार के पक्ष में अपनी उच्च लागत ऋण देनदारियों की अदला-बदली करने में सुविधा महसूस करें। वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यों ने सितम्बर, 2002 से मार्च, 2003 तक 20 प्रतिशत लघु बचत हिस्से और अतिरिक्त बाजार उधारों सहित 13,766 करोड़ रुपए की राशि के उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली की। 2003-04 के दौरान 46211 करोड़ रुपए की रशि के उच्च लागत के ऋणों की अदला-बदली 30 प्रतिशत लघु-बचत अन्तरणों और अतिरिक्त बाजारों सहित की जा चुकी है। इसी प्रकार 2004-05 के दौरान 40% लघु बचत हिस्से और अतिरिक्त खुला बाजार उधारों का प्रयोग करके अदला-बदली के लिए 43665 करोड़ रुपए राशि के ऋण अनुमानित हैं। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में ऋण अदला-बदली स्कीम के अन्तर्गत 32665 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया गया है। बदले में एन.एस.एस.एफ. ने ऐसे उन्मोचन से प्राप्त राशि का पुनर्निवेश बाजार से जुड़ी ब्याज दरों पर जारी भारत सरकार की नई प्रतिभूतियों में किया है।

स्रोत और उपयोग:

(i) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई **सारणी-I** में दर्शाए गए हैं:-

(ii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अर्थात् एनएसएसएफ की प्राप्तियों, संवितरण, निवेश आय तथा व्यय का ब्यौरा जिसमें वर्ष 2003-2004 (अनन्तिम) के "वास्तविक आंकड़े" सं.अ. 2004-05 तथा ब.अ. 2005-06 शामिल हैं, को अनुबंध- 8 में सारणीबद्ध किया गया है।

सारणी-I

31 मार्च की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2003-2004 (अनन्तिम)	2004-2005 (सं. अ.)	2005-2006 (ब. अ.)
क. निधियों के स्रोत			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत			
बचत जमाराशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	140216.27	188906.86	254616.86
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	48690.59	65710.00	80000.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	163420.33	174563.42	189153.42
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	11143.09	14590.00	3000.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	60753.84	71771.49	81271.49
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	11017.65	9500.00	10800.00
कुल जमा राशि	**435241.77**	**525041.77**	**618841.77**

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2003-2004 (अनन्तिम)	2004-2005 (सं. अ.)	2005-2006 (ब. अ.)
ख. निधियों का उपयोग			
दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	162455.34	116244.19	83579.19
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	(-) 46211.15	(-) 32665.00	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों के प्रति विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	26049.69	26049.69	25599.69
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	...
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	(-) 450.00	(-) 865.00
दिनांक 1.4.1999 से सग्रहणों के प्रति विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	147481.34	215123.29	298773.29
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	67641.95	85000.00	90000.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	(-) 1350.00	(-) 3010.00
प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुर्ननिवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...	59976.73	94441.73
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	59976.73	34465.00	3875.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का उन्मोचन	...	...	...
प्रतिभूतियों में कुल निवेश	**417393.90**	**502393.90**	**592393.90**
संग्रहित बकाया आय/व्यय लेखा	12980.31	13396.90	13474.13
नकद शेष	4867.56	9250.97	12973.74
जोड़	**435241.77**	**525041.77**	**618841.77**

(ख) सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। दिनांक 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत नई जमा राशियां लेना बंद कर दिया गया है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि 13 सितंबर 2004 को अथवा इसके पश्चात तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2003-2004 (अनंतिम)	2004-2005 (सं. अ.)	2005-2006 (ब. अ.)
सकल	630.48	350.00	...
निवल	554.75	(–) 1150.00	(–) 600.00

7. **अन्य प्राप्तियांः**

(i) ***8 प्रतिशत बचत (कर योग्य बांड), 2003*** की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। ये द्वितीयक बाजार में व्यापार योग्य नहीं हैं तथा बैंकिंग संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र नहीं है।

(ii) ***6.5 प्रतिशत बचत (करयोग्य-भिन्न) बांड, 2003*** की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है।

सरकार ने यह भी अधिसूचित कर दिया है कि राहत बांडो की सभी श्रृंखलाओं पर पश्च-परिपक्वता ब्याज 1 मार्च, 2003 से बंद कर दिया जाएगा।

(iii) ***रेलवे प्रारक्षित निधियांः***

(करोड़ रुपए)

	बजट 2004-2005	संशोधित 2004–05	बजट 2005–06
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	6482.57	6748.39	7150.03
नामे	6400.00	6700.00	7150.00
निवल	(+) 82.57	(+) 48.39	(+) 0.03
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	2528.13	2969.51	3982.07
नामे	2120.00	2215.00	2650.00
निवल	(+) 408.13	(+) 754.51	(+) 1332.07
रेलवे विकास निधि			
जमा	724.27	1774.14	1959.38
नामे	715.00	845.80	1200.19
निवल	(+) 9.27	(+) 928.34	(+) 759.19
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	1.08	1.08	1.15
नामे	...	...	...
निवल	(+) 1.08	(+) 1.08	(+) 1.15
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	403.74	403.74	713.55
नामे	401.00	401.00	710.81
निवल	(+) 2.74	(+) 2.74	(+) 2.74
विशेष रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	2933.00	3645.00	3522.00
नामे	2933.00	3645.00	3522.00
निवल	...	...	...
जोड़	**(+) 503.79**	**(+) 1735.06**	**(+) 2095.18**

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2004-2005 में निधि में 6748.39 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 98.39 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 6700 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान है। वर्ष 2005-2006 के दौरान इस निधि में 100.03 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 7150.03 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 7150 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि* : इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2004-2005 में सामान्य राजस्व से 207.51 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 2969.51 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2004-2005 में 2215 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2005-2006 के संबंध में क्रेडिट 3982.07 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 278.07 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 2650 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले स्वर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी स्वर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का स्वर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के स्वर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका स्वर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2004-2005 के दौरान रेलवे विकास निधि को 1774.14 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया है। 1724.80 करोड़ रुपए अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 49.34 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2004-2005 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 845.80 करोड़ रुपए हैं। 2005-2006 के दौरान निधि मे क्रेडिट 1959.38 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए है, 1852.98 करोड़ रुपए अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 106.40 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2005-2006 के दौरान 1200.19 करोड़ रुपए की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि के प्रभार्य कार्य के लिए होंगी।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का सृजन इसलिए किया गया है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2004-2005 के दौरान निधि में जमा राशि 1.08 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पूर्णतः वह ब्याज है, जो निधि में बकाया राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय होता है। वर्ष 2005-06 के दौरान उस निधि में 1.15 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी, जो निधि में बकाया राशि पर देय ब्याज को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2004-05 तथा 2005-2006 में किसी निकासी का विचार नहीं है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रासिग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्त पोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण रेलवे राजस्वों अर्थात् सामान्य राजस्वों को लाभांश भुगतान के बाद बच गई अतिरिक्त "धनराशि", केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2004-2005 के दौरान जमा राशि 403.74 करोड़ रुपए रखी गई है। निधि से 401 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2005-2006 के दौरान 713.55 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 710.81 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(च) *विशेष रेलवे सुरक्षा निधिः* रेलवे सुरक्षा पुनरीक्षण समिति (1998) की सिफारिश के अनुसरण में वर्ष 2001-02 में विशेष रेलवे सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है, जिससे 6 वर्षों की निश्चित अवधि में प्रतिस्थापन संबंधी बकायों को निपटाया जा सके तथा बहुत पुरानी रेलवे परिसम्पत्तियों का नवीकरण किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है, 12,000 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि यात्री किराए पर सुरक्षा उप-प्रभार लगा कर रेलवे द्वारा जुटाई जाएगी। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि ब्याज रहित निधि है।

3645 करोड़ रुपए की एक राशि जो सामान्य राजस्वों से प्राप्त 2975 करोड़ रुपए तथा रेलवे के भाग के रूप में 670 करोड़ रुपए की राशियां दर्शाता है, की वर्ष 2004-05 में निधि में जमा कराया जा रहा है। इन निधि में से व्यय को 3645 करोड़ रुपए के स्तर पर भी रखा गया है। 2005-2006 के दौरान, इस निधि में 3522 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है, जिसमें से सामान्य राजस्व द्वारा 2699 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे तथा 823 करोड़ रुपए रेलवे के हिस्से के रुप में होंगे। वर्ष 2005-2006 के दौरान इस निधि से 3522 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित की गई है।

(iv) ***अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं***

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैंः

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2004-2005			संशोधित 2004–05			बजट 2005–06		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	...	...	...	...	648.27	(-) 648.27	357.14	...	357.14
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	0.01	100.00	(-) 99.99	0.01	100.00	(-) 99.99	0.01	100.00	(-) 99.99
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	0.01	...	0.01	1.04	...	1.04	...	...	...
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	23.00	22.75	0.25	22.74	0.42	22.32	...	...	...
5. एशियाई विकास बैंक	0.01	2.00	(-) 1.99	0.01	7.93	(-) 7.92	0.01	9.20	(-) 9.19
6. अफ्रीकी विकास निधि और बैंक	9.08	4.12	4.96	9.03	6.30	2.73	0.85	6.42	(-) 5.57
7. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा)	...	...	...	0.01	21.17	(-) 21.16	0.01	...	0.01
जोड़	**32.11**	**128.87**	**(-) 96.76**	**32.84**	**784.09**	**(-) 751.25**	**358.02**	**115.62**	**242.40**
एस.डी.आर.	***(-) 299.89***	***(-) 307.61***	***7.72***	***77.52***	***444.69***	***(-) 367.17***	***442.68***	***442.91***	***(-) 0.23***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषः कोष के करार-अनुच्छेद के मूल्य अनुरक्षण उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। वर्ष 2005-2006 में बजट अनुमान के रुप में 357.13 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 में रुपया शेष राशियों के कम हो जाने पर 2005-2006 के दौरान आवश्यक हो गए पुनः खरीद लेन-देनों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के पास आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना आवश्यक हो गया है। आईएमएफ के वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के अंतर्गत अनिवार्य व्यय (विशेष प्रतिभूति शोधन) के लिए सं.अ. 2004-05 में 648.27 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। 1991-93 के दौरान पुनःक्रय कार्यक्रम की आईएमएफ सुविधा पूरी होने से प्रतिभूति के नकदीकरण के लिए ब.अ. 2005-06 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2004-2005 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया। वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में 'विशेष आहरण अधिकार' नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी आधार

पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2004-2005 में कुल जमा की गई राशि 77.52 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 77.52 रुपए प्रतिपक्षी डेबिट किए जाएगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2004-2005 के संशोधित अनुमान में 444.69 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 444.69 करोड़ रुपए एस.डी.आर. लेखे में प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2005-2006 के दौरान 442.68 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 442.91 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण के रूप में 2004-2005 के बजट अनुमानों में 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार ने एमओवी देयताओं को डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित करने का निर्णय लिया है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमओवी अदायगी की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा आगामी वर्ष से इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सं.अ. 2003-04 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तथापि, वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में 1 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2004-2005 और संशोधित अनुमान 2004-2005 में क्रमशः 100.00 करोड़ रुपए तथा 100.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। विश्व बैंक द्वारा वर्धित नकदीकरण की मांग को देखते हुए ब.अ. 2005-06 में 100.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): अंतर्राष्ट्रीय विकास संघः बजट अनुमान 2004-2005 में 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित करके संशोधित अनुमान 2004-05 में 1.04 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट अनुमान 2005-2006 के लिए एक लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

आईडीए की प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए 2004-2005 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार, बजट अनुमान 2005-2006 के लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधिः भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने के समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में दिसंबर 2004 तक 52 मिलियन डालर का अंशदान किया है। भुगतान पुनःपूर्ति की 4 किस्तों तक भा.रि. बैंक द्वारा आईएफडी के पक्ष में धारित अपरक्राम्य निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां जारी कर किए जाते है। पुनःपूर्ति की 5वीं किस्त से आगे भारत सरकार ने नकद में भुगतान किया है।

एशियाई विकास बैंकः एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2004-05 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और संशोधित अनुमान 2004-2005 और बजट अनुमान 2005-2006 के लिए क्रमशः 7.93 करोड़ रुपए और 9.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंकः की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इन दोनों ही संस्थाओं में शामिल हो गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैक के सदस्य के रुप में भारत को इन संगठनों के पूंजी पुनर्भरणों की वचनबद्धता के अपने हिस्से का भुगतान करना है। एडीएफ IX पुनःपूर्ति तक भारत ने अफ्रीकी विकास निधि के संसाधनों में कुल 147.23 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया है। एडीएफ की वर्तमान नकदीकरण समय अनुसूची के आधार पर हमें वर्ष 2004-2005 में 5.52 करोड़ रुपए और वर्ष 2005-2006 में 5.58 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का नकदीकरण करना है।

जीसीआई-IV तक भारत ने अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टाक में 5.40 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के तहत भारत को 1860 शेयर आवंटित किये गये है। इनमें से 112 शेयर प्रदत्त हैं तथा शेष 1748 शेयर प्रतिदेय हैं। प्रदत्त शेयरों के प्रति भारत का अंशदान 1 यू.ए. = 1.20635 अमरीकी डालर की नियत विनिमय दर पर यू.ए. 11,20,000 के समकक्ष 13,51,112 अमरीकी डालर है। प्रदत्त शेयरों का भुगतान आठ समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। अफ्रीकी विकास बैक को पहली किस्त का भुगतान नकद और दूसरी, तीसरी तथा चौथी किश्त का 3.98 करोड़ रुपए की किस्तों में मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदीकरण कराए जाने वाले नोटों में क्रमशः वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003, 2003-04 तथा 2004-05 में अदा किए है।

बहुपक्षीय निवेश गांरटी अभिकरण (मीगा) पहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा) के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के नकदीकरण हेतु सं.अं. 2004-05 में 21.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) ***अन्य मदें:***

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा, न्यायालय जमा आदि शामिल है।